कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
ई–मेल–rscelluk@gmail.com

संख्या–   /प्रवर्तन/स0सु0/1–8(143)/2024   दिनांक   मार्च, 2024

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **Compensation to Victim of Hit and Run Motor Accident Scheme 2022, regarding.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–RT-11036/39/2022–MLV दिनांक 12 मार्च, 2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को निम्नानुसार बढ़ाया गया है–

(1) रूपये 2.00 लाख मृत्यु होने पर।

(2) रूपये 50.00 हजार गम्भीर रूप से घायल होने पर।

2– तद्नुसार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 25–02–2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा ''हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना योजना 2022'' के पीड़ितों को मुआवजा अधिसूचित किया गया है। जिसका अपेक्षित विवरण वेबसाईट (https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/) पर अपलोड किया गया है। उनके द्वारा इस योजना के तहत दावा निपटान प्रक्रिया का एक सांकेतिक चित्र अनुलग्नक–1 पर दिया गया है।

3– पत्र में अवगत कराया गया है कि इस योजना के तहत 3000 से भी कम दावे प्राप्त हुए है, जबकि देश भर में हिट एण्ड रन दुर्घटनाओं की कुल संख्या वार्षिक आधार पर 60000 से अधिक है। दावों की इतनी कम संख्या का एक कारण नागरिकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता का कम स्तर माना जा सकता है। इसलिए हिट एण्ड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में योजना का व्यापक प्रचार अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

4– पत्र में अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एस0 राजशेखरन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 12–01–2024 के आदेश के माध्यम से योजना के सीमित लाभ के बारे में चिंता व्यक्त की है और योजना के लिए स्थायी समिति को निर्देश दिया है कि योजना के बारे में जन जागरूकता विकसित करने के लिए विस्तृत

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:29 pm

निर्देश जारी करें। एस0 राजशेखरन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मा0 सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 12–01–2024 के आदेश का सार पत्र के अनुलग्नक–2 पर दिया गया है।

5– पत्र के अन्तर्गत सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक बस नेटवर्क की व्यापक उपस्थिति का उपयोग जमीनी स्तर पर योजना का प्रचार करने के लिए किया जा सकता है। इस क्रम में उनके द्वारा सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों, बसों के भीतर और बस स्टॉप पर साकेंतिक बैनर (अनुलग्नक–3) लगाए जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः उक्त पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र में दिए गए निर्देशों के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sanat Kumar Singh
Date: 27-03-2024 13:17:21

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।

2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।

3– समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा), उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा पत्र में दिए गए निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:29 pm

106 79 662

No.RT-11036/39/2022-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
(MVL Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated the 12th March, 2024

To,

i. Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries (Transport) of all States / UTs
ii. Transport Commissioners of all States / UTs

Subject: Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to say that the Motor Vehicles (MV) Act, 1988, as amended vide Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, enhanced the compensation to be paid to victims of hit and run motor accidents, as under:

i. Rs. 2,00,000 in case of death
ii. Rs. 50,000 in case of grievous hurt

2. Accordingly, this Ministry vide G.S.R. 163(E) dated 25.02.2022 (copy enclosed) had notified "Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022", in supersession of the Solatium Scheme, 1989. The scheme has been operationalized w.e.f. 01.04.2022 and requisite details uploaded on the website of General Insurance Council (https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/). An indicative diagram of the claim settlement procedure under the scheme is provided at **Annexure-1**.

J.T.C
18/03/24
Road safety
18/03/24

3. Till date, less than 3,000 claims have been received under this scheme whereas the total number of hit and run accidents across the country are more than 60,000 on an annual basis. One of the reasons for such low number of claims may be attributed to the low level of awareness about the scheme among citizens. Therefore, wide publicity of the scheme could prove to be highly effective in creating awareness among the public in order to support the victims of hit and run motor accidents.

1096
20/03/24

4. The Hon'ble Supreme Court, vide order dated 12.01.2024 in the matter of S. Rajaseekaran vs. Union of India & Ors., has expressed concern about the limited off take of the scheme and has directed the Standing Committee for the scheme to issue elaborate directions for developing public awareness. A gist of the Supreme Court Order dated 12.01.2024 in the matter of S. Rajaseekaran vs Union of India & Ors. is attached at **Annexure -2.**

5. In view of the above, the Standing Committee in meeting dated 15.02.2024 has recommended that the wide presence of public bus network may be utilized to propagate

12/3/24

the scheme at the grassroots levels. Accordingly, it is requested that various officials of the Transport Department and State Road Transport Corporations in your States / UTs may be sensitised about the scheme features and to provide maximum assistance to the victims of hit and run accidents. Directions may also be issued to place the indicative banner **(Annexure-3)** at prominent locations at RTOs, within buses and at bus stops to create maximum visibility about this noble initiative of Government of India.

6. This issues with the approval of Competent Authority.

Encls: As above.

Yours faithfully,

12/3/24

(Ankit Dugar)
Director (MVL)
Tel: 011 23718575
Email: ankit.dugar1986@gov.in

Copy to:

1. Secretary General, General Insurance Council

Annexure 1

Claim settlement procedure as per
Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022

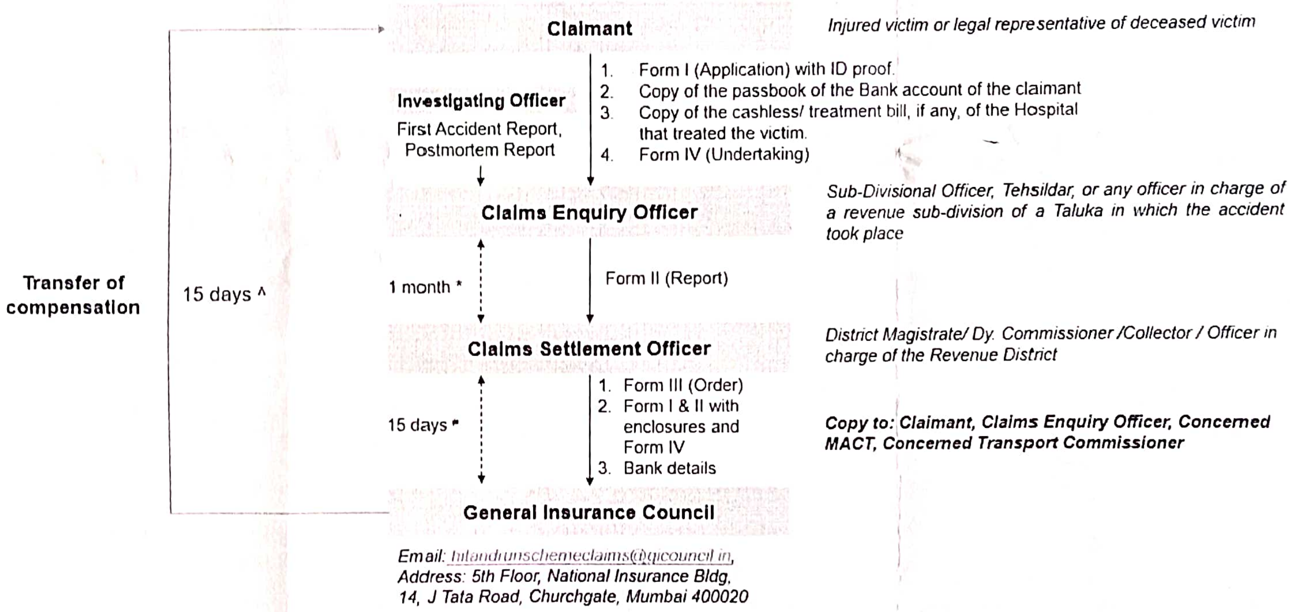

* 15 days in case a report has been returned by Claims Settlement Commissioner for further enquiry
# In case of any doubt w.r.t. report submitted by Claims Enquiry Officer, the report may be returned to Claims Enquiry Officer indicating the specific points of enquiry to be made
^ Payment may be made within a further period of 30 days, for reasons to be recorded in writing to the Claims Settlement Commissioner

Annexure-2

Gist of Supreme Court Order dated 12.01.2024

The Hon'ble Supreme Court, vide order dated 12.01.2024 in the matter of S. Rajaseekaran vs. Union of India &Ors., has expressed concern about the limited offtake of the scheme and has directed the Standing Committee for the scheme to issue elaborate directions for developing public awareness. A summary of the directions issued are as follows:

1. Issue directions for the effective implementation of the Scheme. The Standing Committee shall address the major concern that notwithstanding the availability of the Scheme, very few eligible claimants are taking benefit of the Scheme

2. Issue elaborate directions for developing public awareness and for sensitisation of the members of the public about the Scheme

3. If the vehicle is not identified within a period of one month from the date of registration of accident report, police shall inform in writing to the injured or the legal representatives of the deceased, as the case maybe, that compensation can be claimed under the Scheme and also provide contact details (email ID, office address) of the Claims Enquiry Officer.

4. Police shall forward First Accident Report to the Claims Enquiry Officer within one month from the date of accident, including the names of victims in case of injury or of the legal representatives of the deceased victim (if available with the Police Station). After receipt of FAR, if the claim application is not received within one month, the Claims Enquiry Officer shall forward the details to the

concerned District Legal Service Authority with a request to contact the claimants and assist them in filing the claim applications.

5. Constitution of a Monitoring Committee at district level comprising:

- Secretary of the District Legal Service Authority (Convener)
- the Claims Enquiry Officer of the district (or, if there is more than one, the Claim Enquiry Officer nominated by the State Government)
- Police officer not below the level of Deputy Superintendent of Police as may be nominated by the District Superintendent of Police.

The Committee shall meet at least once in every two months to monitor the implementation of the Scheme in the district and the compliance with the aforesaid directions.

6. Secretaries of the District Legal Services Authorities to submit quarterly reports on the functioning of the Monitoring Committees to the Member Secretaries of the respective Legal Services Authorities of States / UTs, for collation and submission of a comprehensive report to the Registry of this Court.

7. Submission of compliance reports for the directions mentioned above.

Annexure 3

Sample poster for wider publicity of the scheme

ATTENTION!

GOVERNMENT OF INDIA PROVIDES **COMPENSATION** TO THE **VICTIMS OF HIT-AND-RUN MOTOR ACCIDENTS**

₹ 2 LAKHS IN CASE OF DEATH *(to legal representatives of deceased)*

₹ 50,000 IN CASE OF GRIEVOUS HURT

SIMPLE & TIME BOUND PROCESS

Applicant — Victim (in case of grievous hurt) Or Legal representative (in case of death of victim)

→ Submit application →

Claims Enquiry Officer — Sub-Divisional Officer or Tehsildar of the Sub-Division or Taluka in which the accident took place

→ Enquiry Report → ***Within 1 month****

Claims Settlement Commissioner — District Magistrate, Deputy Commissioner, Collector

→ Sanction Order → ***Within 15 days****

General Insurance Council — On behalf of Motor Vehicle Accident Fund Trust

→ Transfer of compensation to Applicant → ***Within 15 days****

For more information and Forms, log on to:
https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/

* As per applicable terms and conditions of *Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022*

74075/2024/O/o Transport Commissioner

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233756
CG-DL-E-25022022-233756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
No. 160]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 163(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2021 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526 (अ), तारीख 2 अगस्त, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 03 अगस्त, 2021 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ. सं. 440(अ), तारीख 12 जून, 1989 द्वारा जारी तोषण स्कीम, 1989 को उन बातों के

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

74075/2024/O/o Transport Commissioner

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी—अध्यक्ष;

(ख) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी—सदस्य;

(ग) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी—सदस्य;

(घ) सचिव, साधारण बीमा परिषद्—सदस्य;

(ङ) तत्समय भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाली बीमा कंपनियों (चक्रानुक्रम आधार पर तीन कंपनियां) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक –सदस्य

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट तीन राज्यों में से प्रत्येक का एक परिवहन आयुक्त—सदस्य;

(छ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि—सदस्य;

(ज) निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय-सदस्य;

(झ) साधारण बीमा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी—सदस्य सचिव;

(ञ) कोई अन्य प्रतिनिधि जैसा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए –सदस्य ।

(2) किसी पद के आधार पर सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा जब वह उस पद को धारण नहीं करता है ।

4. स्थायी समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक—किसी सदस्य को उसे अनुज्ञेय दरों पर अनुज्ञात यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा और भत्ते उस स्रोत से संदत्त किए जाएंगे, जिससे वह वेतन आहरित करता है ।

5. स्थायी समिति की शक्तियां और कृत्य.—स्थायी समिति—

(क) इस स्कीम के कार्यकरण की कालिक रूप से समीक्षा करेगी जिसे अंतर्गत पैरा 24 में निर्दिष्ट साधारण बीमा परिषद् रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना और उसका कार्यान्वयन तथा सुधार कदमों के लिए निदेश, जहां कहीं आवश्यक हो, भी सम्मिलित है;

(ख) जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी और जब कभी मांगा जाए तो मार्गदर्शन या निदेश प्रदान करेगी, जिसके अंतर्गत इस स्कीम के कार्यान्वयन में कपट की रोकथाम भी है;

(ग) टक्कर मार कर भागना प्रतिकर लेखा के दक्ष संवितरण और कार्यकरण, विशेषकर कपट की रोकथाम के संबंध में, समर्थ बनाने के लिए इस स्कीम का संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी;

(घ) स्थायी समिति और जिला स्तरीय समिति द्वारा कारबार के संचालन के लिए प्रक्रिया उपबंधित करेगी ।

6. स्थायी समिति की बैठकें.—स्थायी समिति ऐसे समय, तारीख और ऐसे स्थानों पर बैठकें करेगी जो इस संबंध में समय-समय पर अध्यक्ष नियत करे:

परंतु समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

7. गणपूर्ति.— पांच से अनधिक सदस्यों से गणपूर्ति होगी:

परंतु यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं है, तो अध्यक्षउपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना भेजते हुए किचाहे गणपूर्ति हो या नहीं वह स्थगित बैठक के कारबार के निपटान का प्रस्ताव करता है, सात से अनधिकदिन के पश्चात् की तारीख के लिए बैठक स्थगित कर सकेगा और वह उसके पश्चात् ऐसी स्थगित बैठक के कारबार का निपटान कर सकेगा ।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

74075/2024/O/o Transport Commissioner

8. विनिश्चय.—प्रत्येक मामला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष मतदान करेगा।

9. बैठक की सूचना.—(1) सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए नियत समय, तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को उक्त बैठक में निपटाए जाने वाले कारबार की सूची दी जाएगी:

परंतु जहां अध्यक्ष द्वारा अति-आवश्यक बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी, तथापि, सदस्य सचिव प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजेगा।

(2) बैठक में किसी ऐसे कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा जो कारबार की सूची में नहीं है।

10. बैठकों के कार्यवृत्त.—स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और उसके पश्चात् एक कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी जो इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जाएगी तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

11. जिला स्तरीय समिति.—(1) प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) दावा निपटान आयुक्त—अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दावा जांच अधिकारी—सदस्य;

(ग) जिले का पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)—सदस्य;

(घ) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी—सदस्य;

(ङ) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मोटर यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी—सदस्य;

(च) अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सड़क सुरक्षा पहलुओं से संसक्त लोक या स्वैच्छाया संगठन का कोई सदस्य—सदस्य;

(छ) साधारण बीमा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी-सदस्य सचिव।

(2) सदस्य के रूप में किसी पद के द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बना रहेगा जब वह उस पद पर नहीं बना रहेगा।

(3) पैरा 1 के उप पैरा (घ), उप पैरा (ङ) और उप पैरा (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

12. जिला स्तरीय समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक.–किसी सदस्य को उसे उसके संबंधित विभाग में अनुज्ञेय दरों पर अनुज्ञात यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा और भत्ते उस स्रोत से संदत्त किए जाएंगे, जिससे वह वेतन आहरित करता है और पैरा 11 के उप पैरा (1) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को साधारण बीमा परिपद् द्वारा ऐसी दरों पर जो साधारण बीमा परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए, यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

13. जिला स्तरीय समिति की शक्तियां और कर्तव्य.—जिला स्तरीय समिति इस स्कीम के जिला स्तर पर कार्यान्वयन मे संसक्त सभी कृत्यों का निष्पादन करेगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन भी करेगी.—

(क) इस स्कीम के संबद्ध जिले में कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना और जहां कहीं अपेक्षित हों, सुधारात्मक कदम उठाना;

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

74075/2024/O/o Transport Commissioner

(ख) स्थायी समिति को इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें अन्य बातों के साथ प्राप्त किए गए, दिए गए, लंबित दावा आवेदन और लंबित होने के कारणों के बारे में माह-वार आंकड़ों की जानकारी सम्मिलित है;

(ग) जिले में अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना जिससे इस स्कीम का पर्याप्त प्रचार होना सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) जहां कहीं मांगा जाए, संबद्ध प्राधिकारियों और दावेदारों को मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण प्रदान करना;

(ङ) इस स्कीम के अधीन दावेदारों को उपलब्ध अधिकारों और प्रतिकर के उपबंधों के बारे में जागरुकता लाना।

14 जिला स्तरीयसमिति की बैठकें.—जिला स्तरीय समिति, संबद्ध जिले में ऐसे समय, तारीख और ऐसे स्थानों पर बैठकें करेगी जो इस संबंध में समय-समय पर अध्यक्ष नियत करे:

परंतु समिति तीन मास में में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

15. गणपूर्ति.— तीन से अनधिक सदस्यों से गणपूर्ति होगी:

16. विनिश्चय.—प्रत्येक मामला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष मतदान करेगा।

17. बैठक की सूचना.—(1) सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए नियत समय, तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को उक्त बैठक में निपटाए जाने वाले कारबार की सूची दी जाएगी:

परंतु जहां अध्यक्ष द्वारा अति-आवश्यक बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी, तथापि, सदस्य-सचिव प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजेगा।

(2) बैठक में किसी ऐसे कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा जो कारबार की सूची में नहीं है।

18. बैठकों के कार्यवृत्त.—जिला स्तरीय समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और उसके पश्चात् एक कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी जो इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जाएगी तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

19. बीमा कंपनी के विषय में नामनिर्देशन.—साधारण बीमा परिषद् धारा 161 और इस स्कीम के अधीन दावों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में अपने किसी अधिकारी को बीमा कंपनी में नामनिर्दिष्ट करेगी।

20. दावा आवेदन करने की रीति.—(1) आवेदक इस स्कीम के अधीन प्रतिकर के लिए धारा 162 के अधीन विनिर्मित नगदी रहित उपचार के लिए स्कीम के अनुसार उपचार प्रदान करने वाले अस्पताल द्वारा, यदि कोई हो किए गए दावे की प्रति और प्ररूप 4 में वचनबंध तथा प्ररूप 1 में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भी है, प्ररूप 1 में इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उस उपखंड या तालुका जिसमें दुर्घटना घटित हुई है, दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां दावा जांच अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए आधारों को स्वीकार नहीं करता है, वहां वह सकारण आदेश अभिलिखित करेगा और आवेदक को दावा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को संसूचित करेगा।

21. दावा जांच अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.—(1) दावा जांच अधिकारी दावा आवेदन की प्राप्ति पर संबद्ध प्राधिकारियों से तुरंत यथास्थिति प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करेगा और टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना से उद्भूत दावों के संबंध में जांच करेगा।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

74075/2024/O/o Transport Commissioner

(2) दावा जांच अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि—

(क) जहां एक से अधिक दावाकर्ता हैं वहां यह विनिश्चित करे कि कौन सही दावाकर्ता है;

(ख) अपनी सिफारिशों के साथ प्ररूप 2 में एक रिपोर्ट और दावाकर्ता से प्राप्त प्ररूपों और दस्तावेजों को यथाशीघ्र और किसी मामले में आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां दावा निपटान आयुक्त किसी रिपोर्ट को पैरा 22 के उप पैरा (3) के अधीन अतिरिक्त जांच के लिए दावा जांच अधिकारी को लौटा देता है, वहां दावा जांच अधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच करेगा जो आवश्यक हो और उसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर दावा निपटान आयुक्त को अंतिम आदेश के लिए पुन: प्रस्तुत करेगा।

22. दावों की मंजूरी.—(1) उप पैरा (2) के अध्यधीन रहते हुए दावा निपटान आयुक्त दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा संभव ऐसी रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर दावा मंजूर करेगा और प्ररूप 3 में मंजूरी आदेश और दावाकर्ता से प्राप्त प्ररूपों और दस्तावेजों को निम्नलिखित को एक प्रति देते हुए यथास्थिति केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 की धारा 4 के अधीन गठित न्यास या साधारण बीमा परिषद् को संसूचित करेगा:

(क) दावा जांच अधिकारी;

(ख) दावाकर्ता;

(ग) संबद्ध मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण;

(घ) संबद्ध परिवहन आयुक्त;

(ङ) साधारण बीमा परिषद् मुख्यालय।

(2) दावा निपटान आयुक्त धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार उस अस्पताल जिसने नगदी रहित उपचार प्रदान किया है, द्वारा किए गए दावे को घटाएगा और शेष रकम मंजूर करेगा:

परंतु पीड़ित के नगदी रहित उपचार पर खर्च की गई रकम टक्कर मारकर भागना प्रतिकर खाते से गैर बीमाकृत यान या टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना के लिए मोटर यान दुर्घटना निधि में अंतरित किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि उस अस्पताल द्वारा जिसने धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार प्रदान किया है किया गया दावा धारा 161 के अधीन नियत प्रतिकर राशि से अधिक है, तो यथास्थिति दावाकर्ता या मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा।

(3) जहां दावा निपटान आयुक्त को दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में कोई संशय है, वहां वह उन विनिर्दिष्ट बिंदुओं को उपदर्शित करते हुए, जिनपर जांच की जानी है, रिपोर्ट को अतिरिक्त जांच के लिए दावा जांच अधिकारी को लौटा देगा।

23. प्रतिकर का संदाय.—(1) यदि दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु से दावा उद्भूत होता है तो पैरा 22 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर दावा जांच अधिकारी द्वारा विनिश्चित मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा।

(2) यदि दावा घोर उपहति से उद्भूत होता है, तो पैरा 22 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर उपहित व्यक्ति को दिया जाएगा।

(3) पैरा 22 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट न्यास की ओर से साधारण बीमा परिषद् (जीआईसी) प्ररूप 3 में मंजूरी आदेश और दावाकर्ता के प्ररूपों और दस्तावेजों की प्राप्ति पर तुरंत यथास्थिति दावकर्ता या मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में ई-संदाय करेगा और साथ ही साथ सभी संबद्ध प्राधिकारियों को जिन्हें मंजूरी आदेश की प्रति पृष्ठांकित की जाती है, सूचना भेजेगा।

(4) उप-पैरा (3) के अधीन संदाय मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु संदाय उन कारणों से जो दावा निपटान आयुक्त द्वारा अभिलिखित किए जाएं, तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर किया जा सकेगा।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

74075/2024/O/o Transport Commissioner

(5) उप पैरा (3) के अधीन प्रतिकर के संवितरण पर दावा जांच अधिकारी अधिनिर्णीत दावे और संदाय की तारीख का इलैक्ट्रानिक प्ररूप से अभिलेख रखेगा, जिसे पैरा 13 के खंड (ख) के अनुसार तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।

24. वार्षिक रिपोर्ट.—साधारण बीमा परिषद् इस स्कीम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को एक प्रति देकर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

[सं. आर टी-11036/64/2019–एमवीएल (भाग 2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 20(1)]

टक्कर मार भागना प्रतिकर निधि से प्रतिकर के लिए आवेदन हेतु प्ररूप

मैं..,पुत्र*/पुत्री*/विधवा*श्री.. निवासी...........................मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हुए कारित गंभीर क्षतियों के लिए प्रतिकर प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करती/करता हूं । मुझे कारित गंभीर क्षतियों की बावत आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:--

मैं..,पुत्र*/पुत्री*/विधवा*श्री.. निवासी................................श्री/श्रीमती/कुमारी..................................पुत्र/पुत्री/विधवा ....जो..पर...........................को मोटर यान दुर्घटना में मर गई/गया है या उसे क्षति कारित हुई है, उसकी मृत्यु/कारित क्षति के लिए प्रतिकर प्रदान करने हेतु विधिक प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन करती/करता हूं । दुर्घटना के संबंध में विशिष्टियां और अन्य सूचना नीचे दी गई हैं:--

1. क्षतिग्रसृत/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा की दशा में पति का नाम):
2. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का पता:
3. आयु..................जन्म तारीख..........
4. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का लिंग:
5. घोर उपहति की दशा में दावाकर्ता की आधार संख्या या विधिक प्रतिनिधि की आधार संख्या:
6. क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के बैंक खाते की पासबुक की प्रति:
7. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:
8. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का व्यवसाय:
9. कारित क्षतियों की प्रकृति:
10. उस पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी या रजिस्ट्रीकृत की गई थी:
11. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का नाम और पता जिसने क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की देखभाल की :
12. दावाकर्ता/दावाकर्ताओं का नाम और पता:
13. मृतक के साथ नातेदारी:
14. उस अस्पताल द्वारा दिए गए बिल की प्रति, जिसने अधिनियम की धारा 105 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार प्रदान किया है:
15. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक या सहयोगी समझी जाए ।

मैं शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दावाकर्ता के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

74075/2024/O/o Transport Commissioner

प्ररूप 2

[पैरा 21(2)(ख)]

दावा जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पता:
2. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:
3. उस पुलिस थाने की विशिष्टियां जिसमें दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत की गई थी:
4. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी की विशिष्टियां जिसने मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की परीक्षा की थी:
5. समन और परीक्षित किए गए व्यक्ति की विशिष्टियां:
6. क्या टक्कर मारकर भागना मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु/क्षति के तथ्य स्थापित हुए हैं या नहीं और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के कारण:
7. प्रतिकर के संदाय के लिए पात्र दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) का नाम और पता:
8. पीड़ित द्वारा नगदी रहित उपचार पर खर्च की गई रकम:
9. दावाकर्ता को संदाय के लिए सिफारिश की गई प्रतिकर की रकम (एक से अधिक दावाकर्ता होने की दशा में वह रकम जिसके लिए प्रत्येक दावाकर्ता पात्र है और उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएं):
10. कोई अन्य सूचना या अभिलेख जो दावे के निपटान के लिए सुसंगत या उपयोगी है:

हस्ताक्षर,

दावा जांच अधिकारी का पदनाम

मुद्रा:

तारीख:

प्ररूप 3

[पैरा 22(1)]

क्रम संख्या..........

दावा निपटान आयुक्त

जिला..................

आदेश

मैं, टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना जो..............................(स्थान का नाम) पर तारीख............................ को हुई थी, के परिणामस्वरूप (मृतक का नाम) की मृत्यु/......................(क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम) को हुई घोर उपहति के संबंध में मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... या ....(क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम) को प्रतिकर के रूप में ....रु. (...............................रुपये मात्र) मंजूर करता हूं।

दावा निपटान आयुक्त

प्रति:-

1. न्यास और साधारण बीमा परिसर;
2. दावाकर्ता;
3. मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण;
4. दावा जांच अधिकारी;
5. सदस्य-सचिव, स्थायी समिति।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm

प्ररूप 4

[पैरा 20 (1) देखें]

दावे के प्रतिदाय के लिए वचनबंध

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 के अधीन)

मैं/हम ....मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति......................के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के रूप में वचनबंध करती/करता/करते हैं कि मैं/हम यदि मोटर यान अधिनियम 1988 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के अधीन या अन्यथा ....की मृत्यु या घोर उपहति की बाबत प्रतिकर के दावे के बजाय रकम अथवा उसके समाधान के माध्यम से कोई अन्य प्रतिकर या रकम प्रदान किए जाने की दशा में मोटर यान दुर्घटना निधि की टक्कर मार कर भागना प्रतिकर निधि से अधिनियम की धारा 161 के अधीन मुझे/हमें प्रदान किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का प्रतिदाय करूंगी/करूंगा/करेंगे ।

मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के

विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।"।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

G.S.R. 163(E).—Whereas the draft scheme for Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents, 2021 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 526 (E), dated the 2nd August, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd August, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft scheme have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 161 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the Solatium Scheme, 1989 issued vide number S.O. 440 (E), dated the 12th June, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following scheme, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) This scheme may be called the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2022.

2. **Definitions.** — In this scheme, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "Account for Insured Vehicles" means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by insured vehicles in accordance with the scheme framed under section 162;

(c) "Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident" means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by uninsured vehicles or hit and run accidents in accordance with the scheme framed under section 162.

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:31 pm